

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर।

माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त मजिस्ट्रेट, न्यायालयों में कार्य को सुचारु रूप से संचालन हेतु पूर्व में पारित आदेश दिनांकित- 20.09.2022 एवं 21.09.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है, जो निम्नवत है:-

01:- थाना **कोतवाली** से सम्बंधित पुलिस चालानी, अर्न्तगत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0, 155 (2) दं0प्र0सं0 (समस्त पुराने व नये) एवं परिवाद/एन0आई0एक्ट से सम्बंधित पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू0डि0)कोर्ट सं0-5 के न्यायालय से वापस लेकर **अपर सिविल जज (सी0डि0)प्रथम/ए0सी0जे0एम0** के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।

02:- थाना **तिवारीपुर** से सम्बंधित पुलिस चालानी, अर्न्तगत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0, 155 (2) दं0प्र0सं0 (समस्त पुराने व नये) एवं परिवाद/एन0आई0एक्ट से सम्बंधित पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू0डि0)कोर्ट सं0-8 के न्यायालय से वापस लेकर **अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय** के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।

03:- थाना **झगहॉ** से सम्बंधित पुलिस चालानी, अर्न्तगत धारा 156(3)दं0प्र0सं0, 155(2) दं0प्र0सं0 (समस्त पुराने व नये) एवं परिवाद/एन0आई0एक्ट से सम्बंधित पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू0डि0)कोर्ट सं0-10 के न्यायालय से वापस लेकर **ए0सी0जे0एम0, प्रथम** के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।

04:- थाना **हरपुर बुदहट** से सम्बंधित पुलिस चालानी, अर्न्तगत धारा 156(3)दं0प्र0सं0, 155(2)दं0प्र0सं0 (समस्त पुराने व नये) एवं परिवाद/एन0आई0एक्ट से सम्बंधित पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू0डि0)कोर्ट सं0 02 के न्यायालय से वापस लेकर **न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम** के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।

05:- थाना **गगहा** से सम्बंधित पुलिस चालानी, अर्न्तगत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0, 155 (2) दं0प्र0सं0 (समस्त पुराने व नये) एवं परिवाद/एन0आई0एक्ट से सम्बंधित पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू0डि0)कोर्ट सं0-7 के न्यायालय से वापस लेकर **अपर सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट सं0-4** के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।

06:- थाना **गीड़ा** से सम्बंधित पुलिस चालानी, अर्न्तगत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0, 155 (2) दं0प्र0सं0 (समस्त पुराने व नये) एवं परिवाद/एन0आई0एक्ट से सम्बंधित पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू0डि0)कोर्ट सं0-9 के न्यायालय से वापस लेकर **अपर सिविल जज (जू0डि0)कोर्ट सं0-5** के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।

5

07:- थाना गोरखनाथ से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद/घरेलू हिंसा, अर्न्तगत धारा 156 (3)दं0प्र0सं0, 155 (2) दं0प्र0सं0 (समस्त पुराने व नये) की पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण किये जाने हेतु अपर सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट सं0-4 के न्यायालय से वापस लेकर अपर सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट सं0-7 के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में कार्यरत पीठासीन अधिकारीगण के न्यायालय में लम्बित पत्रावलियों का थानेवार अद्यतन विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	न्यायालय	थाना
01	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	थाना कैण्ट एवं रामगढ़ताल का पुलिस चालानी वाद आई0टी0एक्ट,साईबर सेल एवं ह्यूमन ट्रेकिंग इसके अतिरिक्त राजपत्रिअधिकारी से सम्बंधित परिवाद तथा सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध मामले अर्न्तगत धारा 156(3) दं0प्र0सं0, वनअधि0 का परिवाद, कीटनाशी अधि0, फेक्ट्री अधि0, श्रम विभाग अधि0, खान एवं खनिज अधि0, आबकारी अधि0, टी0एस0आई0 चालानी/आर0टी0ओ0 चालानी,पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट, पासपोर्ट अधि0 एवं कैण्ट का आर्स एक्ट
02	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम	चौरीचौरा, खोराबार एवं झगहों का पुलिस चालानी वाद/परिवाद थाना चौरीचौरा का एन0आई0एक्ट व घरेलू हिंसा। इसके अतिरिक्त बाट माप अधि0,खाद्यअपमिश्रण अधि0,सी0बी0सी0आई0डी से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद,फारेस्ट एक्ट का पु0 चालानी/परिवाद
03	अपर सिविल जज (सी0डि0) प्रथम /ए0सी0जे0एम0	थाना कोतवाली से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद मय एन0आई0एक्ट।
04	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय	गुलरिहा, शाहपुर एवं तिवारीपुर का पुलिस चालानी/परिवाद मय एन0आई0एक्ट तथा रामगढ़ताल का परिवाद
05	अपर सिविल जज (सी0डि0) द्वितीय /ए0सी0जे0एम0	पीपीगंज एवं चिलुवाताल की पुलिस चालानी/परिवाद मय एन0आई0एक्ट तथा थाना कैण्ट का परिवाद
06	सिविल जज (सी0डि0) एफ0टी0सी0 /ए0सी0जे0एम0	सहजनवाँ एव राजघाट से सम्बंधित पुलिस चालानी वाद/परिवाद व थाना राजघाट से सम्बंधित एन0आई0एक्ट व पूर्व में लम्बित पत्रावलियों
07	न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम	पिपराईच एवं हरपुर बुदहट से सम्बंधित पुलिस चालानी वाद/परिवाद मय एन0आई0एक्ट।
08	न्यायिक मजिस्ट्रेट,द्वितीय	गोला एवं सिकरीगंज से सम्बंधित पुलिस चालानी वाद/परिवाद कैण्ट का आर्स एक्ट
09	न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय	कैम्पियरगंज एवं खजनी सम्बंधित पुलिस चालानी वाद/परिवाद
10	सिविल जज (जू0डि0) (Crime against women)	महिला थाना एवं बड़हलगंज का पुलिस चालानी/परिवाद। थाना: महिला थाना, गीड़ा, रामगढ़ताल, कोतवाली, खोराबार, चिलुवाताल एवं पीपीगंज का घरेलू हिंसा से सम्बंधित पत्रावलियों
11	अपर सिविल जज(जू0डि0)कोर्ट सं04	थाना गगहा से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद एवं घरेलू हिंसा से सम्बंधित पत्रावलियों।
12	अपर सिविल जज(जू0डि0)कोर्ट सं05	थाना गीड़ा से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद से सम्बंधित पत्रावलियों
13	अपर सिविल जज(जू0डि0)कोर्ट सं06	थाना बेलीपार से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद/एन0आई0एक्ट से सम्बंधित पत्रावलियों
14	अपर सिविल जज(जू0डि0)कोर्ट सं07	थाना गोरखनाथ से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद/एन0 आई0एक्ट से सम्बंधित पत्रावलियों
15	ए0सी0जे0एम0 बांसगांव	थाना उरुवा बाजार, बांसगांव एवं बेलघाट से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद/घरेलू हिंसा से सम्बंधित पत्रावलियों।
16	ग्राम न्यायालय गोला	थाना गोला से सम्बंधित समनीय प्रकृति के वाद
17	ग्राम न्यायालय कैम्पियरगंज	थाना कैम्पियरगंज से सम्बंधित समनीय प्रकृति के वाद
18	ग्राम न्यायालय चौरीचौरा	थाना चौरीचौरा से सम्बंधित समनीय प्रकृति के वाद


57

ग्रह भी स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक्शन प्लान 2022-2023 में चिन्हित पत्रावलियों जिस न्यायालय में लम्बित है, उसी न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जायेगी, जिसका थाने के स्थानान्तरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।


सम्बंधित लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावलियों का स्थानान्तरण भौतिक रूप से व सी0आई0एस0 पर भी करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश अनुमोदनोपरान्त तत्काल प्रभावी से प्रभावी होगा।

सभी सम्बंधित सूचित हो।

दिनांक-17.10.2022


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गोरखपुर।

अनुमोदित


जनपद न्यायाधीश,
गोरखपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1-माननीय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।
- 2-श्रीमान् प्रभारी अधिकारी नजारत गोरखपुर।
- 3-नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, गोरखपुर।
- 4-सम्बंधित न्यायालय गोरखपुर।
- 5-जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 6-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
- 7-संयुक्त निदेशक अभियोजन गोरखपुर।